पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य निर्देश-109(भाग-3) /2021-22/ 1611 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 23 जुलाई, 2021

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य निर्देश(109)-भाग-3/2019-20/3804/ वाणिज्य कर दिनांक 14.11.2019, पत्र संख्या-4034 दिनांक 26.11.2019 व पत्र संख्या-4081 दिनांक 27.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जोनल कार्यालय एवं जोन के सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर से अपने-अपने सम्भागों के समस्त खण्डों / मण्डलीय / उपमण्डलीय कार्यालयों में बाहरी / निजी व्यक्तियों से नियम विरुद्ध कार्य लिया जाना दृढ़तापूर्वक समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश ने ज्ञापन दिनांक 08.07.2021 प्रस्तुत करते हुए कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के संज्ञान में लाया गया है कि कर्मचारियों को कार्य दायित्व एवं लॉगिन आई0डी0 प्रदान न होने के कारण प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रुप से काफी संख्या में ऐसे व्यक्तियों से सरकारी कार्य लिया जा रहा है जो बाहरी व्यक्ति है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे समस्त व्यक्ति जो सरकारी सेवक नहीं है उनसे राजकीय कार्य न लिया जाय। यदि किसी कार्यालय/अनुभाग में इस प्रकार के बाहरी व्यक्ति से कार्य लिये जाने के पश्चात् कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र कि **आपके अधीनस्थ किसी भी कार्यालय/अनुभाग में कोई भी बाहरी / निजी व्यक्ति कार्यरत नहीं है,** उपलब्ध करायें। अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को यह भी संसूचित करें कि आकस्मिक जॉच में यदि किसी कार्यालय/अनुभाग में कोई बाहरी / निजी व्यक्ति कार्य करते हुये पाया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लनखनऊ को कमिश्नर महोदया के अवलोकनार्थ।
2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर उ0प्र0 को दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा जोन के सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर से उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।
3- अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
4- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
6- प्रान्तीय अध्यक्ष / महामंत्री, यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद / मण्डल कार्यालय, लखनऊ।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।